

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एव राजस्थापन सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशयासित करियर प्रगति (VII/III) / सालयें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. स.	नाम व पदस्थापन स्थान ( उ.मा.वि./रा.मा.वि ) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैंड	ग्रेड पे / मैट्रिक्स लेवल
1	मदनसिंह प्रधानाचार्य, सोला-लक्ष्मणगढ(सीकर)	05-03-60	21-12-94 Lect	20-12-14 20 Y	21-12-2014 II	15600-39100	6800
2	आत्मप्रकाश प्रधानाचार्य अयालकी (हनुमानगढ)	28-09-63	11-08-95 Lect.	10-08-15 20 Y	11-08-2015 II	15600-39100	6800
3	श्रीमती इन्द्राकुमारी प्रधानाचार्य, घरट-पिण्डवाड़ा, (सिरोही)	17-01-68	28-10-89 Sr.T.	27-10-19 30 Y	28-10-2019 III	---	L--17
4	संतोष कुमार शर्मा प्रधानाध्यापक, खादीबाग-चौमू (जयपुर)	06-05-64	11-10-89 Sr.T.	10-10-19 30 Y	11-10-2019 III	---	L--15

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।

(सौरभ स्वामी)  
अधीक्षक  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 16-03-2020

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-3-4-7/ACP/वो-2/2017-20

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्यिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर